रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ

सेवा में ,

प्रबन्धक,
सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज,
ग्राम भारती छिजारसी पिलखुआ हापुड

पत्रांक : आई0वी0 / मेरठ / मान्यता / 2006 दिनांक– 26-12-2016

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन वर्ग / विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा–7 क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, ग्राम भारती छिजारसी पिलखुआ हापुड को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2019 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग / विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन / अतिरिक्त वर्ग / विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7 क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन / वर्ग / विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि / भवन, पुस्कालय, प्राभूत कोष,, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वी कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमुनसार एक योग्य प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता / पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना /प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

कृ0प0उ0

(ग) प्रतिभूत(जमानत) की धनराशि रू0 15,000=00 (रू0 5000=00 प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय मे योजित विशेष अपील संख्या 25/2006 मंजू अवस्थी एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी तथा	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र कला, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान	
इण्टर वैज्ञानिक एवं	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान	
इण्टर वाणिज्य वर्ग नवीन	हिन्दी, अंग्रेजी, वहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन, पत्रव्यवहार एवं बाजार विवरणी, अधिकोषण तत्व, गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यकी, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल,	

टिप्पणी –उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर कियें जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्याः आई0वी0/मेरठ/मान्यता/ दिनांक–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़।
2 संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ।
3 संभागीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
4 इण्टर परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।
5 सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ